CNR No.UPME–10185122023
फौजदारी निगरानी सं0–784/2023

UPME010185122023

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(जे०ओ० कोड यू०पी० 6240)

फौजदारी निगरानी संख्या–784/2023

नरेश कुमार पुत्र स्व0 सुक्खन, निवासी–ग्राम काजीपुर, पोस्ट घौसीपुर, थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी महोदय मेरठ,
2. मोहित बंसल पुत्र नरेश कुमार, निवासी–शास्त्रीनगर, प्रवेश विहार, थाना मैडिकल, जिला मेरठ।

. .....प्रत्यर्थीगण ।

निर्णय

1. प्रस्तुत दांडिक निगरानी संख्या–784/2023 प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 5845/2019 मोहित बंसल बनाम नरेश कुमार में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.10.2019 से विक्षुब्ध होकर योजित की गयी है।
की गयी है।

2. निगरानी के मुख्य आधार हैं कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.10.2019 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है जिसे विपक्षी संख्या–2 ने माननीय अवर न्यायालय को गुमराह करके पारित कराया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या–2 को कभी भी चैक संख्या 251143 एक्सिस बैंक शाखा गढ़ रोड, मेरठ दिनांक 17.06.2019 अंकन दो लाख रूपये का नहीं दिया गया। विपक्षी संख्या–2 निगरानीकर्ता का बड़ा पुत्र है तथा विपक्षी संख्या–1 आवारा व शराबी किस्म का व्यक्ति हैं जिसकी हरकतों से तंग आकर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 22.12.2016 को विपक्षी संख्या–2 को अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था। जिसकी सूचना 22.12.2016 को जिलाधिकारी मेरठ को दी गयी थी जिसकी प्रति संलग्नक 1 व 2 है। निगरानीकर्ता का उक्त चैक अपर्याप्त निधि होने के कारण बाउंस हो गया था जिसकी सूचना विपक्षी सं0–2 ओमकार तोमर एडवोकेट के माध्यम से प्रेषित की गयी तब निगरानीकर्ता को उक्त जानकारी प्राप्त हुई। निगरानीकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब दिया। निगरानीकर्ता का विपक्षी सं0–2 से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। विपक्षी सं0–2 निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में अपनी माता से मिलने आ जाता है और इसी दौरान उसने निगरानीकर्ता के घर से उक्त चैक चोरी कर लिया और उक्त चैक पर निगरानीकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर धनराशि भरके बैंक से रूपया निकालने का प्रयास किया। विपक्षी संख्या–2 बंगलोर में नौकरी

नहीं करता है। विपक्षी सं0–2 ने परिवाद में इस कथन का कोई उल्लेख नहीं किया है कि अंकन आठ लाख रूपये निगरानीकर्ता को चैक से अथवा नकद दिये थे और यदि नकद दिये थे तो विपक्षी सं0–2 द्वारा उक्त खाते का कोई स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया गया है जो विपक्षी संख्या–2 के कुटिल आचरण को दर्शाता है। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है और न ही पत्रावली का विधितः अवलोकन किया गया है। उपरोक्त समस्त आधारों पर अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.10.2019 को खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से पत्रावली में स्वंय का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश की सत्य प्रतिलिपि, नेाटिस की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

4. विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा निगरानी का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 24.10.2019 विधि सम्मत आदेश है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं क्षेत्राधिकारी सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गयी है और न ही प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता है। तदनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. पत्रावली में बहस हेतु निगरानीकर्ता एवम् विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.10.2019 से विक्षुब्ध होकर योजित की गयी है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अधीन विचारण हेतु तलब किया गया था और अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि चैक निगरानीकर्ता द्वारा जारी किया गया था जिसको भुगतान हेतु बैंक में लगाया गया तो वह अनादृत हो गया क्योंकि निगरानीकर्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी।

8. निगरानीकर्ता के द्वारा अवर न्यायालय के आदेश की किसी भी त्रुटि का कोई उल्लेख निगरानी के तथ्यों में नहीं दर्शाया गया है केवल अपना बचाव न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जैसे कि विपक्षी संख्या–2 स्वंय निगरानीकर्ता का पुत्र है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का चैक चोरी कर लिया गया था। उक्त चैक निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या–2 को नहीं दिया गया । निगरानीकर्ता के द्वारा जो भी बचाव लिये गये हैं वह निगरानी के स्तर पर नहीं देखे जाने हैं। विचारण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय अपने विवेक का विधिसम्मत प्रयोग किया है।

9. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता लम्बे समय से गैर हाजिर चल रहा है और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है।

10. उपरोक्त विश्लेषण से इस मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 एन.आई. एक्ट के अधीन कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिक, नियमित तथा

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वांछित नहीं है। अतः प्रस्तुत दांडिक निगरानी सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 784/2023 नरेश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि बलहीन व सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनाकः 15.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनाकः 15.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference-
For authentic copy Please refer to certified copy only-

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.15 17:12:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court